न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मु0न0 – 42/2024

अनवान : –

1. जगदीश पुत्र नेतराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा ।
2. गुगनराम पुत्र नेतराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा ।
3. रूपराम पुत्र नेतराम नेतराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा हाल निवासी नलवा तहसील व जिला हिसार हरियाणा।
4. बलवंतसिह पुत्र नेतराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा हाल निवासी नलवा तहसील व जिला हिसार हरियाणा।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी हाल गारनपुरा कलां तहसील तोशाम जिला भिवानी हरियाणा।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी हाल गारनपुरा कलां तहसील तोशाम जिला भिवानी हरियाणा।
3. रमेशचंद्र पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी हाल गारनपुरा कलां तहसील तोशाम जिला भिवानी हरियाणा।
4. रणधीर पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा हाल निवासी नलवा (ढाणी खेत 4 किमी सडक से पूर्व) तहसील व जिला हिसार हरियाणा।
5. रतनसिंह पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा हाल निवासी नलवा (ढाणी खेत 4 किमी सडक से पूर्व) तहसील व जिला हिसार हरियाणा।

:–असल अप्रार्थीगण

6. बिरमाराम पुत्र नेतराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
7. शारदा पत्नी बिरमाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
8. आईसीआईसीआई बैंक लि0 शाखा 12 एमएसआर जरिये शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई बैंक लि0 शाखा 12 एमएसआर तहसील भादरा।
9. एचडीएफसी बैंक लि0 शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक एचडीएफसी बैंक लि0 शाखा भादरा तहसील भादरा।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

–अप्रार्थीगण

<u>प्रा.पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम</u>

श्री बलवंत सिह वकील प्रार्थीगण
श्री कपूरचंद शर्मा वकील अप्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है कि रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 140/14[illegible] के खसरा सं0 196 की 6.2600है0, खसरा सं0 427/293 की 1.1000है0, खसरा सं0 504/427 [illegible] है0 कुल रकबा 17.8940है0 बारानी खातेदारी राजस्व रिकार्ड [illegible] सायलान सं0 6 तथा सायलान व गैरसायल सं0 6 की माता मृतक [illegible] उर्फ परमेश्वरी प्रत्येक का 5965/107364 हिस्सा, गैरसायलान सं0 1 व 2 प्रत्येक का 2983/35788 हिस्सा, गैरसाय सं0 3 का 1491/8947 हिस्सा, गैरसायल सं0 4 का 4952/26841 हिस्सा, गैरसायल सं0 5 का 2476/26841 हिस्सा व गैरसायला सं0 7 का 22/389 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.03 13:13:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

सायलान व गैरसायल सं0 6 बिरमाराम की माता डुगा उर्फ परमेश्वरी का देहान्त चुका है। मृतका डुगा उर्फ परमेश्वरी का वाद भूमि में 5965/107364 हिस्सा राजस्व गई है। उक्त हिस्सा सायलान व गैरसायलान सं0 6 को मृतका के प्रथम श्रेणी के वैधिक वारिसान होने के नाते प्राप्त हो चुका है। मृतका का उक्त हिस्सा राजस्व रिकार्ड दर्ज बने रहने सायलान व गैरसायल सं0 6 के हितों पर कुठारघात होता है। अतः सायलान यह घोषणा करवाने के कानूनी अधिकारी है कि वादभूमि में मृतका डुगा उर्फ परमेश्वरी के 5965/107364 हिस्सा के सायलान व गैरसायल सं0 6 बहिस्सा बराबर के हकदार है। इस प्रकार कुल वादभूमि में सायलान व गैरसायल सं0 6 प्रत्येक 5965/107364+ 5965/107364/5 = 7158/107364 हिस्सा अर्थात 1.193है0 हिस्सा के हकदार हैं। अतः प्रार्थी कानूनी अधिकारी है कि वह अप्रार्थीगण को पाबन्द करवा सके कि वे विवादित भूमि का किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान ना करें व रहन व मुन्तकिल ना करें व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सूचना तलब किया गया। तामिल होने पर अप्रार्थीगण सं0 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब पेश किया व अप्रार्थी सं0 6 ता 10 तरतीबी अप्रार्थीगण होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं0 6 ता 10 की ओर से कोई अनुतोष नहीं चाहा है। इसलिए अप्रार्थी सं0 6 ता 10 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। बहस हेतु निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि रोही रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 140/140 के खसरा सं0 196 की 6.2600है0, खसरा सं0 427/293 की 1.1000है0, खसरा सं0 504/427 की 10.5340है0 कुल रकबा 17.8940है0 बारानी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि को अप्रार्थीगण द्वारा बिना खाता व लगान अलग करवाये अच्छी किस्म की भूमि को बेचान करने पर आमदा है अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार के रिकार्ड में परिवर्तन करने से प्रार्थीगण के हक हिस्सा प्रभावित होगें। चुंकि संयुक्त मुश्तर्फा की खातेदारी कृषि भूमि पर सभी सह खातेदारों का अच्छी व मंदी में बराबर का हक हिस्सा निहित होता है और माननीय न्यायालय द्वारा भी उक्त विवादित भूमि पर रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनायें रखने हेतु स्थगन आदेश दिया गया है। अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद पाबन्द किया जावें कि वे विवादित भूमि का किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान ना करें व रहन व मुन्तकिल ना करें व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त विवादित भूमि उतरदातागण अपने हिस्से के मुताबिक अपनी कृषि भूमि काश्त करते है काश्त के बाबत सह खातेदार के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। प्रत्येक सहकाश्तकार अपने हिस्से [illegible] उपयोग व उपभोग में लेने के लिए स्वतंत्र है तथा कानूनन एक [illegible] दूसरे सहकाश्तकार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा लेने [illegible]गण के उपयोग उपभोग व तंग परेशान[illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश ले लिया गया। एवं प्रार्थना [illegible] किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.03 13:13:13 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

Kalpit

Scanned with OKEN Scanner

थम दृष्टया मामलाः–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है प्रार्थीगण को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है चूंकि वादभूमि युक्त मुश्तर्का की खातेदारी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीगण को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है चूंकि उपर्युक्त वेचन एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि वाद भूमि का खाता व लगान अलग से कायम हीं है जिसके लिए न्यायालय हाजा में वाद जैरकार है। और विवादित भूमि पर बैचान, न्तरण, परिवर्तन व परिवर्धन नहीं करने हेतु स्थगन आदेश वर्तमान में प्रभावी है। अतः थम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

2 **सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति** :– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थीगण को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुका है साथ ही प्रस्तुत दस्तावेजों से यह साबित है कि उक्त विवादित भूमि से संबधित प्रकरण न्यायालय हाजा में जैरकार है। अतः प्रार्थना पत्र की विषयवस्तु को जब तक जैरकार प्रकरण में अंतिम फैसला नहीं होता है तब तक संरक्षण प्रदान किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण के हिस्सों का निर्धारण एवं संबंधित विषयवस्तु के क्षेत्राधिकार का निर्धारण मूल वाद में तय होना है। दौराने दावा यदि अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान या हस्तांतरण किया जाता है और यदि उक्त प्रकरण में प्रार्थी को व्यादेश नहीं दिया जाता है एवं अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार के रिकार्ड में परिवर्तन करने से प्रार्थीगण के हक हिस्सा प्रभावित होने की प्रबल आंशका प्रतीत होती है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त वादभूमि में से अच्छी किस्म की भूमि का बेचान कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को नापुरा होने वाला नुकसान होगा। चुंकि संयुक्त मुश्तर्का की खातेदारी कृषि भूमि पर सभी सह खातेदारों का अच्छी व मंदी में बराबर का हक हिस्सा निहित होता है।

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण एवं उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 140/140 के खसरा सं0 196 की 6.2600है0, खसरा सं0 427/293 की 1.1000है0, खसरा सं0 504/427 की 10.5340है0 कुल रकबा 17.8940है0 बारानी खातेदारी में अप्रार्थीगण ताफैसला वादभूमि को किसी अजनबी व्यक्ति को विशिष्ट भू–भाग का बेचान, रहन व मुन्तकिल ना करें एवं वादभूमि के रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक .... को ... लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.03 13:13:13 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner